

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

दिनांक-03.11.2022 (गुरुवार) को अपराह्न 5.00 बजे माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड की अध्यक्षता में नेतरहाट विद्यालय समिति के सामान्य निकाय समिति की 12वीं बैठक की कार्यवाही :-

1. उपस्थिति:- बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित हुए।

क्र.सं.	नाम	समिति में धारित पद	उपस्थिति
01.	माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची।	अध्यक्ष	उपस्थित
02.	विकास आयुक्त, झारखण्ड सरकार, रांची।	उपाध्यक्ष	अनुपस्थित
03.	सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची।	सदस्य	उपस्थित
04.	प्रमंडलीय आयुक्त, पलामू।	सदस्य	अनुपस्थित
05.	उपायुक्त, लोहरदगा।	सदस्य	उपस्थित
06.	उपायुक्त, लातेहार।	सदस्य	उपस्थित
07.	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची।	विशेष आमंत्रित सदस्य	उपस्थित
08.	वित्त विभाग के प्रतिनिधि (वित्त सचिव द्वारा मनोनीत सदस्य) वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची।	सदस्य	उपस्थित
09.	डॉ. संतोष कुमार सिंह, प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	सदस्य सचिव	उपस्थित

02. कार्यसूची की मद संख्या-01 : विगत 11वीं बैठक दिनांक-25.10.2021 की कार्यवाही को सर्वसम्मति से संपुष्ट की गई।

03. कार्यसूची की मद संख्या-02 : विगत 11वीं बैठक दिनांक-25.10.2021 में लिए गए निर्णयों के कृत अनुपालन प्रतिवेदन पर विचार-विमर्श के क्रम में कतिपय बिंदुओं पर आवश्यक निर्देश/सुझाव के साथ अनुपालन प्रतिवेदन की संपुष्टि की गई।

(क) अनुपालन प्रतिवेदन क्रमांक :04 - प्राचार्य सह-सदस्य सचिव द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को अवगत कराया गया कि कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल लातेहार के द्वारा विद्यालय के सभी आश्रमों/भवनों (पूर्व संचालित योजनाओं) को 31 मार्च 2022 के पूर्व निष्पादित कराये जाने का निर्देश दिया गया था। प्राचार्य द्वारा यह भी बताया गया कि दिनांक-06.10.2021 को मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में आहूत बैठक में भवन सचिव को भी निदेश था कि लम्बित योजनाएं 31 मार्च 2022 के पूर्व संपन्न कराना सुनिश्चित किया जाय, परन्तु राशि के अभाव में विगत कुछ माह कार्य भवन निर्माण विभाग स्तर से बंद करा दिए गये थे। प्राचार्य सह-सदस्य सचिव द्वारा बताया गया कि कार्य की महत्ता को ध्यान में रखते हुए निदेशालीय प्रत्रांक-2297 दिनांक-26.08.2022 एवं कार्यपालक अभियंता भवन प्रमण्डल लातेहार की विस्तृत प्रतिवेदन-748/लातेहार दिनांक-05.09.2022 के आलोक में दिनांक-13.10.2022 को कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल लातेहार को उनके मांग पत्र के आलोक में संबंधित मद में उपलब्ध राशि 2,69,46,627.00 (दो करोड़ उन्हत्तर लाख छियालीस हजार छः सौ सताईस रुपया) मात्र उपलब्ध करा दी गई है। प्राचार्य द्वारा यह भी बताया गया कि लम्बित योजनाओं के निष्पादन हेतु कार्यपालक अभियंता को और 3,36,05,140.00 (तीन करोड़ छतीस लाख पांच हजार एक सौ चालीस रुपया) मात्र का भुगतान किया जाना है। इस पर सभी सदस्यों का सुझाव रहा कि सभी लम्बित योजनाओं के निष्पादन के उपरान्त ही शेष राशि के भुगतान की प्रक्रिया अपनाई जाय।

(ख) अनुपालन प्रतिवेदन क्रमांक :07 - प्राचार्य सह-सदस्य सचिव द्वारा बताया गया कि नेतरहाट विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मियों को 20% विशेष

वेतन भुगतान की अनुशांसा की गई थी, परन्तु वित्त विभाग के मंतव्य के आलोक में संबंधित विषयक अग्रेतर कारवाई नहीं की जा सकी, इस पर बैठक में उपस्थित सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा माननीय अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों को आश्वस्त किया गया कि विभागीय स्तर से पुनः इस विषय पर एक बार फिर पूर्ण समीक्षा करा ली जायेगी ताकि विशेष वेतन भुगतान के संबंधित समुचित निर्णय लिया जा सके।

(ग) अनुपालन प्रतिवेदन क्रमांक : 08(iii) बैठक में उपस्थित माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार सह-अध्यक्ष सामान्य निकाय एवं विभागीय सचिव द्वारा उपायुक्त लातेहार से पुनः अनुरोध किया गया कि विद्यालय के सभी भू-खण्ड पूर्ववत: संरक्षित रह सके तथा विद्यालय भूमि का अनावश्यक अतिक्रमण न हो इसके लिए अपने स्तर से सर्वेक्षण कराते हुए अद्यतन रिपोर्ट विद्यालय एवं विभाग को उपलब्ध कराने की कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय। साथ ही प्राचार्य सह-सदस्य सचिव को निर्देश हुआ कि पूर्व प्रेषित पत्र का उल्लेख करते हुए पुनः इस निमित्त एक पत्र उपायुक्त लातेहार को संप्रेषित कर देगे।

04. कार्यसूची की मद संख्या-03 : नेतरहाट विद्यालय समिति के पुनर्गठन संबंधित बिंदुओं के विचार-विमर्श के क्रम में विभागीय स्तर पर की गई स्क्रिनिंग समिति की रिपोर्ट सभी सदस्यों के अवगतार्थ उपस्थापित किया गया। सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निम्न रूप में समिति के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया-

सामान्य निकाय हेतु मनोनीत सदस्य

क्र.सं.	राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविद्	नेतरहाट विद्यालय के सेवानिवृत्त प्राचार्य/शिक्षक	नेतरहाट विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र
01.	श्री धर्मराज सिंह, 284, एन.न्यू अलकापुरी, अमृतलोक अपार्टमेंट के पास डिबडीह, रांची।	डॉ. गिरीन्द्र प्रसाद, 2 वी, रामसखी अपार्टमेन्ट, गांधीनगर, डेम साईड रोड, नं.-02, कांके रोड, राँची-834008	श्री आशीष आलोक, अरिहंत रेसीडेंसी, ब्लॉक-बी, प्लैट नं. 2डी, चेशायर होम रोड बरियातु, रांची, झारखण्ड-834009

02.	-	श्री मुरलीधर कोटवार, ललगुटवा, थाना-नगड़ी, एन एच-23/143, (प्रताप गैस गोदाम के सामने) इटकी रोड, राँची, झारखण्ड-835303	प्रो. बैद्यनाथ लाभ, कुलपति, नव नालंदा महाविहार, नालंदा, बिहार-8303111
-----	---	--	---

कार्यकारिणी समिति हेतु मनोनीत सदस्य

क्र.सं.	राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविद्	नेतरहाट विद्यालय के सेवानिवृत्त प्राचार्य/ शिक्षक	नेतरहाट विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र
01.	डॉ. कामिनी कुमार, 52, सर्कुलर रोड, लालपुर, रांची-834001	डॉ. उपेन्द्र प्रसाद, स्प्रिंगवैली, फेज-1, ब्लॉक-ए, 3सी नगराटोली, रांची-834001	श्री संतोष उरांव, ग्राम-लुण्डरी, पो0-टांगर, थाना-चान्हो, राँची-835214
02.	-	-	श्री शैलेश कुमार सिंह, एम.आई.जी., बी-10, हाउसिंग कॉलोनी, धनबाद-826001

साथ ही बैठक में नेतरहाट विद्यालय समिति के कार्यकारिणी समिति के सभापति के रूप में नेतरहाट विद्यालय के पूर्व छात्र श्री संतोष उरांव का चयन करने का निर्णय लिया गया।

05. कार्यसूची की मद संख्या-04 : नेतरहाट विद्यालय में रिक्त शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में प्राचार्य सह-सदस्य सचिव को निदेश हुआ कि समिति के गठनोपरान्त एतदर्थ विषयक निमयानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

06. कार्यसूची की मद संख्या-05 : नेतरहाट विद्यालय समिति नियमावली-323 दिनांक- 23.10.2009 के नियम-38 के आलोक में M/s J.N Mittal & Co. (C.A) द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंकेक्षण से संबंधित प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आय-व्यय खाता एवं आर्थिक चिट्ठा (Balance Sheet) को सदस्यों के अवगतार्थ प्रस्तुत किया गया। तदनुसार सर्वसम्मति से अंकेक्षण प्रतिवेदन की संपुष्टि की गई।

07. कार्यसूची की मद संख्या-06 : राज्य सरकार के निर्णयानुसार नेतरहाट आवासीय विद्यालय में समिति स्तर से नियुक्त शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना से (OPS) आच्छादित किये जाने की अनुशंसा की गई। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि इसके क्रियान्वयन हेतु विभागीय स्तर पर वित्त विभाग से आवश्यक मंतव्य/सुझाव प्राप्त कर संबंधित विषयक अग्रेत्तर कारवाई शीघ्र की जायेगी।

08. कार्यसूची की मद संख्या-07 : प्राचार्य सह-सदस्य सचिव को निदेश हुआ कि भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल लातेहार स्तर से कराये जा रहे विद्यालय के विभिन्न आश्रमों/भवनों का जीर्णोद्धार कार्य 31, जनवरी 2023 के पूर्व क्रियान्वित कराना सुनिश्चित किया जाय तथा कार्य पूरा होने के उपरान्त ही लम्बित राशि 3,36,05,140 (तीन करोड़ छत्तीस लाख पांच हजार एक सौ चालीस रूपया) मात्र का भुगतान करना सुनिश्चित किया जाय।

09. कार्यसूची की मद संख्या-08 : प्राचार्य सह-सदस्य सचिव द्वारा बताया गया कि विद्यालय मुख्य भवन, सभी कक्षा-वर्गों एवं प्रशासनिक भवनों के जीर्णोद्धार हेतु विभागीय स्तर से रु. 9,19,16,200.00 (नौ करोड़ उन्नीस लाख सोलह हजार दो सौ मात्र) विद्यालय को विमुक्त की जा चुकी है। परन्तु कार्यकारिणी समिति, ने.वि.स. के सत्र में नही रहने के कारण प्रशासनिक स्वीकृति की प्रत्याशा में संबंधित विषयक अबतक कोई कारवाई नही की जा सकी है। प्राचार्य द्वारा राशि की विमुक्ति के लिए माननीय मंत्री सह-अध्यक्ष, सामान्य निकाय, विभागीय सचिव एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा का सहृदय आभार व्यक्त किया गया। प्राचार्य को निदेश हुआ कि समिति के गठनोपरान्त

संबंधित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति कार्यकारिणी समिति, ने.वि.स. के माध्यम से प्राप्त करते हुए अग्रेतर कारवाई शीघ्र करना सुनिश्चित करेंगे।

सधन्यवाद! माननीय अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की कारवाई समाप्त की गई।

Singh

U. Singh

Jagan Nath Mahato

<p>(डॉ. संतोष कुमार सिंह) प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय सह-सदस्य सचिव, सामान्य निकाय समिति नेतरहाट विद्यालय समिति</p>	<p>(के. रवि कुमार) सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखण्ड सरकार सह-सदस्य, सामान्य निकाय समिति नेतरहाट विद्यालय समिति</p>	<p>(जगरनाथ महतो) मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखण्ड सरकार सह-अध्यक्ष, सामान्य निकाय समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति</p>
--	--	---





नेतरहाट विद्यालय समिति



(स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग)

सामान्य निकाय समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति की, दिनांक-03.11.2022 को आहूत 12वीं बैठक की उपस्थिति:

क्र.सं.	नाम	सामान्य निकाय में धारित पदनाम	हस्ताक्षर
1.	श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची।		
2.	विकास आयुक्त, झारखण्ड सरकार, रांची।		
3.	सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची।		
4.	प्रमंडलीय आयुक्त, पलामू।		
5.	उपायुक्त, लोहरदगा।		
6.	उपायुक्त, लातेहार।		
7.	वित्त विभाग, के प्रतिनिधि (वित्त सचिव द्वारा मनोनीत सदस्य) वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची।		
8.	डॉ. संतोष कुमार सिंह, प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।		

9.	Abdul Salam, IAS J.S. Education		
10.	Director Secondary		
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			